भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआइ /2011-12/ 50
बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 13 /12.01.001/2011-12

1 जुलाई 2011
10 आषाढ़ 1933 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

मास्टर परिपत्र - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर)

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र आरबीआइ/2010-11/70 बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 23/12.01.001/2010-11 देखें, जिसमें सीआरआर/एसएलआर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 30 जून 2010 तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को शामिल किया गया था। उक्त मास्टर परिपत्र को इस विषय पर 30 जून 2011 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए यथोचित रूप में अद्यतन किया गया है । इस मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है। इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी प्रदर्शित किया गया है ।

भवदीय

(पी. आर. रवि मोहन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

विषय-सूची

1.	प्रस्तावना
1.1	आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
1.2	आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना
1.3	वर्धमान आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना
1.4	मांग और मीयादी देयताओं की गणना
1.5	मांग देयताएं
1.6	मीयादी देयताएं
1.7	अन्य मांग और मीयादी देयताएँ
1.8	बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां
1.9	विदेश स्थित बैंकों से उधार
1.10	विप्रेषण सुविधाओं के लिए प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्था
1.11	मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना में शामिल न की जाने वाली देयताएं
1.12	छूट प्राप्त श्रेणियां
1.13	विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंक) और अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा खातों से ऋण
1.14	आरक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना की क्रियाविधि
1.15	दैनिक आधार पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना
1.16	आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखे गए नकदी शेषों पर ब्याज का भुगतान नहीं
1.17	फार्म ए (सीआरआर) में पाक्षिक विवरणी
1.18	अर्थ दंड
2	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)
2.1	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए मांग और मीयादी देयताओं की गणना की क्रियाविधि
2.2	सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों का वर्गीकरण तथा मूल्यांकन
2.3	अर्थदंड
2.4	फॉर्म VIII (एसएलआर) में विवरणी प्रस्तुत करना
2.5	मांग और मीयादी देयताओं की गणना की शुद्धता सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना
3.	अनुबंध I
	अनुबंध II
4.	परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)
और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

क॰ उद्देश्य- इस परिपत्र में आरक्षित निधि। संबंधी अपेक्षाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है ।

ख॰ वर्गीकरण -बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक दिशानिर्देश।

ग॰ पूर्व अनुदेश- यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों में निहित ऐसे अनुदेशों का संकलन है जो इस परिपत्र की तारीख को लागू हैं।

घ॰प्रयोज्यता- यह परिपत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू होगा।

च॰ स्वरूप

1. **प्रस्तावना**

    1.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात
    2.1 सांविधिक चलनिधि अनुपात

2. **दिशानिर्देश**

    1.1 से 1.18 आरक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना की क्रियाविधि
    2.1 से 2.5 सांविधिक चलनिधि अनुपात की गणना की क्रियाविधि

3. **अनुबंध**
4. **परिशिष्ट**

1. प्रस्तावना

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरक्षित निधि संबंधी सांविधिक अपेक्षाओं, अर्थात् आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने से संबंधित अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म ए विवरणी (सीआरआर के लिए) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत फार्म VIII विवरणी (एसएलआर के लिए) नामक सांविधिक विवरणियाँ निर्धारित की हैं ।

1.1 **आरक्षित नकदी निधि अनुपात**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए बिना किसी न्यूनतम अथवा उच्चतम दर के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) निर्धारित करता है ।

1.2 **आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना**

वर्तमान में, 24 अप्रैल 2010 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) खंड 1.11 और 1.12 में वर्णित छूटों के समायोजन के बाद बैंक की कुल मांग और मीयादी देयताओं के 6.00 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है ।

1.3 **वर्धमान आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1-ए) के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 42 (1) के अंतर्गत निर्धारित शेष राशियों के अलावा, अतिरिक्त औसत दैनिक शेष रखें जिसकी राशि भारत के राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित अधिसूचना में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं होगी। ऐसी अतिरिक्त शेष राशि की गणना, अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख को कारोबार की समाप्ति पर बैंक की कुल मांग और मीयादी देयताओं की तुलना में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) में निर्दिष्ट विवरणी में दिखाई गई कुल मांग और मीयादी देयताओं की अतिरिक्त राशि के आधार पर की जाएगी ।

वर्तमान में, बैंकों द्वारा किसी प्रकार का वर्धमान आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना अपेक्षित नहीं है ।

1.4 **मांग और मीयादी देयताओं की गणना**

किसी बैंक की देयताएं मांग या मीयादी जमाराशियों या उधारों या देयताओं की अन्य विविध मदों के रूप में हो सकती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार किसी बैंक की देयताएं बैंकिंग प्रणाली के प्रति या दूसरों के प्रति मांग और मीयादी जमाराशियों के रूप में या उधारों के रूप में या देयताओं की अन्य विविध मदों के रूप में

हो सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वह किसी भी खास देयता को वर्गीकृत कर सके । अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि किसी खास देयता के वर्गीकरण के संबंध में कोई संदेह होने पर वे आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करें ।

1.5 मांग देयताएं

"मांग देयताओं" के अंतर्गत ऐसी सभी देयताएं शामिल हैं जो मांग पर देय हैं । इनके अंतर्गत चालू जमाराशियां, बचत बैंक जमाराशियों का मांग देयता वाला भाग, साखपत्रों/गारंटी के बदले धारित मार्जिन, अतिदेय मीयादी जमाराशियाँ, नकद प्रमाणपत्रों और संचयी/आवर्ती जमाराशियों में शेष राशियां, बकाया तार अंतरण, मेल अंतरण, मांग ड्राफ्ट, अदावी जमाराशियां, नकद ऋण खाते में जमाशेष और उन अग्रिमों के लिए जमानत के रूप में रखी गयी जमाराशियां जो मांग पर देय हैं, शामिल हैं । बैंकिंग प्रणाली के बाहर से माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को अन्य के प्रति देयता के समक्ष दर्शाया जाना चाहिए ।

1.6 मीयादी देयताएं

मीयादी देयताएं वे हैं जो मांग से अन्यथा देय हैं तथा इनके अंतर्गत मीयादी जमाराशियां, नकदी प्रमाणपत्र, संचयी और आवर्ती जमाराशियां, बचत बैंक जमाराशियों का मीयादी देयता वाला भाग, स्टाफ जमानत जमाराशियां, यदि मांग पर प्रतिदेय न हो तो साख पत्र के बदले धारित मार्जिन, ऐसे अग्रिमों के लिए जमानत के रूप में रखी गयी जमाराशियां जो मांग पर प्रतिदेय न हों और स्वर्ण जमाराशियां शामिल हैं ।

1.7 अन्य मांग और मीयादी देयताएं

अन्य मांग और मीयादी देयताओं के अंतर्गत शामिल हैं - जमाराशियों पर उपचित ब्याज, देय बिल, अदत्त लाभांश, उचंत खाते में पड़ी हुई ऐसी शेष राशि जो अन्य बैंकों या जनता को देय हो, शाखा समायोजन खाते के अंतर्गत निवल जमा शेष, "बैंकिंग प्रणाली" को देय ऐसी राशि जो जमाराशियों या उधारों के रूप में न हो । ऐसी देयताएं (i) अन्य बैंकों की ओर से बिलों के संग्रहण, (ii) अन्य बैंकों को देय ब्याज और इसी तरह की अन्य मदों के चलते निर्मित हो सकती हैं । यदि कोई बैंक "अन्य मांग और मीयादी देयताओं" के योग में से बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं को अलग न कर सकता हो तो समग्र 'अन्य मांग और मीयादी देयताएं' फॉर्म ए में विवरणी की मद

II (सी) 'अन्य मांग और मीयादी देयताएं' के अंतर्गत दर्शायी जानी चाहिए और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को इसपर औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना होगा ।

अन्य बैंकों को जारी किया गया सहभागिता प्रमाणपत्र, अंतर शाखा समायोजन खाते में पांच वर्ष से अधिक समय से पृथक्कृत बकाया जमा प्रविष्टियों से संबंधित अवरुद्ध खाते में बकाया शेष, खरीदे गये/भुनाये गये बिलों पर मार्जिन राशि और बैंकों द्वारा विदेश से उधार लिया गया सोना भी अन्य मांग और मीयादी देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए ।
संपार्श्विकीकृत डेरिवेटिव लेनदेन के अंतर्गत प्राप्त नकदी सम्पार्श्विक को आरक्षित निधि अपेक्षा के प्रयोजन से बैंक के डीटीएल/एनडीटीएल में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका स्वरूप `बाह्य देयताओं' जैसा होता है।

1.8 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां

बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों के अंतर्गत बैंकों के पास चालू खातों में शेष, बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के पास अन्य खातों में शेष, बैंकिंग प्रणाली को ऐसे ऋणों या जमाराशियों के रूप में उपलब्ध करायी गयी निधियां जो 15 दिनों या उससे कम की मांग या अल्प सूचना पर चुकौती योग्य हों और बैंकिंग प्रणाली को उपलब्ध कराये गये ऐसे ऋण जो मांग और अल्प सूचना पर चुकौती योग्य राशि से भिन्न हो । बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त होनेवाली कोई अन्य राशि, जो उपर्युक्त किन्हीं मदों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं की जा सकती, बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों के रूप में मानी जानी चाहिए ।

1.9 भारत स्थित बैंकों द्वारा विदेशों से उधार

भारत स्थित बैंकों द्वारा विदेशों से लिये गये ऋण/उधार "अन्यों के प्रति देयताएं" माने जाएंगे तथा ऐसे मामलों में आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं लागू होंगी। विदेशों में जुटाए तथा रखे गए अपर टियर II लिखतों को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए मांग और मीयादी देयताओं की गणना करने के लिए देयता माना जाएगा।

1.10 विप्रेषण सुविधाओं के लिए प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्था

विप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत जब कोई बैंक किसी ग्राहक से निधि स्वीकार कर लेता है तब ऐसी निधि उसकी बहियों में देयता (अन्यों के प्रति देयता) बन जाती है । निधि स्वीकार

करनेवाले बैंक की देयता तभी समाप्त होगी जब प्रतिनिधि बैंक, निधि स्वीकार करनेवाले बैंक के ग्राहकों को जारी किये गये ड्राफ्टों को स्वीकार कर लेगा । अत: विप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत निधि स्वीकार करनेवाले बैंक द्वारा प्रतिनिधि बैंक पर जारी किये गये ड्राफ्टों के संबंध में ऐसी अदत्त शेष राशि, निधि स्वीकार करनेवाले बैंक की बहियों में 'भारत में अन्यों के प्रति देयता' शीर्ष के अंतर्गत बाहरी देयता के रूप में दिखायी जानी चाहिए तथा उसे आरक्षित नकदी निधि/सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना हेतु हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

प्रतिनिधि बैंकों द्वारा प्राप्त राशि उनके द्वारा 'बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयता' के रूप में दिखायी जानी चाहिए, न कि 'अन्यों के प्रति देयता' के रूप में, और इस तरह की देयता का समायोजन प्रतिनिधि बैंकों द्वारा अंतर-बैंक आस्तियों में से किया जाना चाहिए । इसी प्रकार ड्राफ्ट /ब्याज / लाभांश वारंट जारी करने वाले बैंकों द्वारा रखी गयी राशि उनकी बहियों में 'बैंकिंग प्रणाली के पास आस्ति' मानी जानी चाहिए और इसका समायोजन उनकी अंतर-बैंक देयताओं में से किया जाना चाहिए ।

1.11 मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना में शामिल न की जाने वाली देयताएं

निम्नलिखित देयताएं आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजन के लिए देयताओं का अंग नहीं मानी जाएंगी :

क) प्रदत्त पूंजी, आरक्षित निधियाँ, बैंक के लाभ-हानि लेखे में कोई जमाशेष, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए किसी ऋण की राशि तथा निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से पुनर्वित्त के रूप में ली गयी राशि ।

ख) निवल आयकर प्रावधान ।

ग) दावों से संबंधित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से प्राप्त ऐसी राशि जो उनके समायोजन न होने तक बैंकों द्वारा अपने पास रखी गयी हो ।

घ) गारंटी लागू करने पर निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त राशि ।

ङ) न्यायालय का निर्णय न होने तक, दावों के तदर्थ निपटान से संबंधित बीमा कंपनी से प्राप्त राशि ।

च) कोर्ट रिसीवर से प्राप्त राशि ।

छ) बैंकर स्वीकृति सुविधा (बीएएफ) के अंतर्गत ऋण-सीमाओं के उपयोग के कारण उत्पन्न देयताएं ।

ज) स्वयं सहायता समूहों के नाम पर अनुदान आरक्षित निधि खाते में रखी गई 10,000/- रुपये की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) की अनुदान राशि ।

झ) ग्रामीण गोदामों के निर्माण /नवीकरण /विस्तार के लिए निवेश अनुदान योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा दिया गया अनुदान।

ञ) खरीद-बिक्री संविभाग के अंतर्गत डेरिवेटिव लेनदेन से होनेवाले निवल अप्राप्त लाभ /हानियां ।

त) वार्षिक शुल्क तथा अन्य प्रभारों जैसे वापस न किए जानेवाले अग्रिम रूप से प्राप्त आय प्रवाह ।

थ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित पात्र वित्तीय संस्थाओं से किसी बैंक द्वारा पुन: भुनाए गए बिल ।

द) लाभ और हानि खाता से सृजित प्रावधान, जो कोई विशिष्ट देयता न हो और वह किसी अतिरिक्त देयता को अंगीकार करने के कारण उत्पन्न हुआ हो।

1.12 **छूट प्राप्त श्रेणियां**

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निम्नलिखित देयताओं पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट प्रदान की गयी है :

i. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत अभिकलित भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं ।

ii. एशियाई समाशोधन यूनियन (अमेरिकी डालर) खातों में जमाशेष।

iii. उनकी अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के संबंध में मांग और मीयादी देयताएं ।

iv. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे 15 दिन और उससे अधिक तथा एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली अंतर-बैंक मीयादी जमाराशियों/मीयादी उधार संबंधी देयताओं को 'बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं' के अंतर्गत (फार्म ए की मद I) शामिल करें । इसी प्रकार बैंकों को 15 दिन और उससे अधिक तथा एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली मीयादी जमाराशियों और मीयादी ऋणों से संबंधित अंतर-बैंक आस्तियों को आरक्षित नकदी निधि

अनुपात रखने के प्रयोजन के लिए 'बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां'(फार्म ए की मद III) से अलग रखना चाहिए । इन जमाराशियों पर उपचित ब्याज को भी आरक्षित निधि अपेक्षाओं से छूट दी गई है ।

1.13 विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंक) और अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशियों से ऋण

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों (एफसीएनआर [बी] जमा योजना) और अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशियों से दिये गये ऋणों को, फॉर्म 'ए' में रिपोर्ट देते समय बैंक-ऋण के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। रिपोर्ट देने के प्रयोजन हेतु, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों, विदेश स्थित विदेशी मुद्रा आस्तियों और चार प्रमुख मुद्राओं में विदेशी मुद्रा में भारत में बैंक ऋणों को, रिपोर्ट देने के लिए नियत शुक्रवार को फेडाई की मध्याह्न औसत दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाना चाहिए ।

1.14 आरक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना की क्रियाविधिः

बैंकों द्वारा नकदी प्रबंधन में सुधार लाये जाने के लिए सरलीकरण के उपाय के रूप में बैंकों द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने के मामले में एक पखवाड़े के विलंब की प्रक्रिया 6 नवंबर, 1999 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से शुरू की गयी है ।

1.15 दैनिक आधार पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना

बैंकों के पखवाड़े के भीतर नकदी प्रवाह के आधार पर आरक्षित निधि रखने की इष्टतम नीति का चयन करने के मामले में बैंकों को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे 28 दिसंबर, 2002 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से रिपोटिंग पखवाड़े के लिए अपेक्षित औसत दैनिक आरक्षित निधि के 70 प्रतिशत तक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेष पखवाड़े के सभी दिन रखें ।

1.16 रक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे गए पात्र नकदी शेष पर ब्याज का भुगतान नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में, धारा 42 की उप-धारा (1बी) को हटाकर किए गए संशोधन के प्ररिप्रेक्ष्य में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखे गए आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेषों पर 31 मार्च 2007 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक किसी ब्याज का भुगतान नहीं करता है।

1.17 फॉर्म 'ए' में पाक्षिक विवरणी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे संबंधित पखवाड़े की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 'ए' में एक अनंतिम विवरणी प्रस्तुत करें । इसका उपयोग प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए किया जाता है। अंतिम फॉर्म 'ए' संबंधित पखवाड़ा समाप्त होने के 20 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाना आवश्यक है । "मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषण और संकलन की पद्धति" पर गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, भारत में स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए यह ज़रूरी है कि वे 9 अक्तूबर, 1998 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से फॉर्म 'ए' विवरणी का ज्ञापन (जिसके अंतर्गत प्रदत्त पूंजी, आरक्षित निधियों, मीयादी जमाराशियों - अल्पावधि (एक वर्ष या उससे कम की संविदागत परिपक्वता अवधि की) तथा दीर्घावधि (एक वर्ष से अधिक संविदागत परिपक्वता अवधि की) सहित, जमा प्रमाणपत्रों, निवल मांग और मीयादी देयताओं, आरक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी कुल अपेक्षाओं इत्यादि का विवरण शामिल हो), फॉर्म 'ए' विवरणी का अनुबंध 'ए' (जिसके अंतर्गत सभी विदेशी मुद्रा देयताओं और आस्तियों का विवरण दिया गया हो) और फॉर्म 'ए' विवरणी का अनुबंध 'बी' (जिसके अंतर्गत अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेश, ज्ञापन संबंधी मदें जैसे शेयरों /डिबेंचरों/ प्राथमिक बाज़ार में बांडों में अभिदान और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अभिदान का विवरण हो) प्रस्तुत करें ।

फॉर्म 'ए' विवरणी में रिपोर्ट देने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे विदेश स्थित अपनी विदेशी मुद्रा आस्तियों और 4 प्रमुख विदेशी मुद्राओं अर्थात अमेरिकी डालर, ग्रेट ब्रिटेन का पौंड, जापान का येन और यूरो में भारत में बैंक ऋण को, रिपोर्ट देने के लिए नियत शुक्रवार को फेडाई की मध्याह्न औसत दर पर रुपयों में परिवर्तित कर दें ।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अपनी बचत बैंक जमाराशियों के संबंध में मांग देयताएं और मीयादी देयताओं के अंश की गणना की वर्तमान पद्धति, जो प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को कारोबार की समाप्ति की स्थिति पर आधारित होती है (देखें 19 नवंबर 1997 का भा. रि. बैं. परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी 142/ 09.16.001/97-98), बचत बैंक जमाराशियों पर दैनिक गुणफल के आधार पर ब्याज देने की नई प्रणाली में भी जारी रहेगी । बैंकों को छमाही अवधि के दौरान प्रत्येक माह में रखी गयी न्यूनतम शेष राशियों के औसत को बचत बैंक जमाराशियों की 'मीयादी देयता' वाला अंश मानना चाहिए । इस राशि को उक्त छमाही अवधि के दौरान रखी गयी वास्तविक शेष राशियों के औसत से घटाने पर जो राशि प्राप्त होगी उसे 'मांग देयता' वाला अंश माना जाना चाहिए । प्रत्येक छमाही में इस प्रकार प्राप्त मांग और मीयादी देयताओं के अंशों के अनुपात के आधार पर अगली छमाही के दौरान सूचना देने वाले सभी पखवाड़ों के लिए बचत बैंक जमाराशियों की मांग और मीयादी देयताओं के घटक प्राप्त किये जाएंगे ।

1.18 अर्थ दंड

24 जून 2006 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने में की गयी चूक के मामलों में निम्नानुसार दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा :

(i) दैनिक आधार पर अपेक्षित आरक्षित नकदी निधि अनुपात, जो कि वर्तमान में अपेक्षित कुल आरक्षित नकदी निधि अनुपात का 70 प्रतिशत है, को बनाए रखने में की गयी चूक के मामलों में उस दिन के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि से वास्तव में रखी गयी राशि जितनी कम है, उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर उस दिन के लिए दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा तथा यदि यह कमी अगले अनुवर्ती दिन/दिनों में जारी रहती है तो बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक की वार्षिक दर पर दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा ।

(ii) किसी पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने में चूक के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (3) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा ।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपेक्षित आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने में हुई चूक के संबंध में दिनांक, राशि, प्रतिशत और चूक का कारण जैसे विवरण देते हुए इस तरह की चूक पुन: न होने देने के लिए की गयी कार्रवाई की सूचना दें ।

2. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 को प्रतिस्थापित करने वाले बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप 23 जनवरी 2007 से रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट आस्तियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात निर्धारित कर सकता है। किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक की ऐसी आस्तियों का मूल्य दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को बैंक की भारत में कुल मांग और मीयादी देयताओं के उस प्रतिशत (अधिकतम 40 प्रतिशत) से कम नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करता है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा 9 मई 20111 से आरंभ की गयी सीमांत स्थायी सुविधा योजना में भाग ले सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत पात्र संस्थाएं दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े की समाप्ति पर अपने एनडीटीएल के एक प्रतिशत तक एक दिन के लिए उधार ले सकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 मई 2011 की अधिसूचना बैंपविवि. सं.आरईटी. बीसी. 91 /12.02.001/2010-11 द्वारा यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक भारत में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आस्तियां रखना जारी रखेगा जिनका मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गयी मूल्यांकन विधि के अनुसार किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 24 प्रतिशत से कम नहीं होगा जैसा कि 16 दिसंबर 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 66/12.02.001/2010-11 द्वारा निर्धारित किया गया है :

(क) नकदी, अथवा

(ख) स्वर्ण जिसका मूल्य चालू बाज़ार मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं होगा, अथवा

(ग) निम्नलिखित लिखतों में निवेश जिन्हें "सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियाँ" कहा जाएगा :

(i) अनुबंध में दी गयी सूची के अनुसार 6 मई 2011 तक जारी दिनांकित प्रतिभूतियां;

(ii) भारत सरकार के खज़ाना बिल;

(iii) बाज़ार उधार कार्यक्रम तथा बाज़ार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत समय-समय पर जारी भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां;

(iv) बाज़ार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर जारी राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण ;

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए जानेवाले कोई अन्य लिखत ।

बशर्ते उपर्युक्त प्रतिभूतियां (मार्जिन सहित), यदि रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अर्जित की गई हों, तो उन्हें इस प्रयोजन के लिए पात्र आस्ति के रूप में नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 'बाज़ार उधार कार्यक्रम' का अर्थ भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जनता से लिए जाने वाले देशी रुपया ऋण हैं, जिनका प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक नीलामी के माध्यम से अथवा इस संबंध में जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी अन्य विधि से ऐसी विपणनयोग्य प्रतिभूतियों को जारी करके करता है, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों से नियंत्रित होती हैं।

2. उपर्युक्त प्रतिशत अंश की गणना में भारग्रस्त सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों को शामिल नहीं किया जाएगा ।

बशर्ते, उपर्युक्त आस्तियों के प्रतिशत अंश की गणना करने के लिए निम्नलिखित मदें शामिल की जाएंगी, जैसे -

(i) उस सीमा तक किसी अग्रिम अथवा किसी अन्य प्रकार की ऋण व्यवस्था के लिए किसी संस्था में रखी गई प्रतिभूतियां जिस सीमा तक इन प्रतिभूतियों की जमानत पर आहरण न किया गया हो अथवा कोई उपयोग न किया गया हो; तथा

(ii) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत भारत में निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत तक की चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को संपार्श्विक के रूप में दी गई प्रतिभूतियां जिन्हें संबंधित बैंक के अपेक्षित एसएलआर संविभाग में से एक हिस्से के रूप में निकाला गया हो ।

3. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए राशि की गणना हेतु निम्नलिखित को भारत में रखी गयी नकदी के रूप में माना जाएगा :

i) भारत से बाहर निगमित किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप धारा (2) के अंतर्गत रखे जाने के लिए अपेक्षित जमाराशियां;

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से रखा गया अधिक शेष;

iii) भारत में अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास चालू खातों में निवल शेष ।

टिप्पणी :

1. किसी सरकारी प्रतिभूति के एसएलआर स्तर संबंधी सूचना प्रसारित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का एसएलआर स्तर प्रतिभूतियों को जारी करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में दर्शाया जाएगा तथा

(ii) एसएलआर प्रतिभूतियों की अद्यतन तथा वर्तमान सूची रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर लगाई जाएगी जिसका लिंक "डाटा बेस ऑन इंडियन इकोनॉमी" होगा।

2. नकदी प्रबंधन बिल को भारत सरकार खजाना बिल के रूप में माना जाएगा तथा तदनुसार उन्हें एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में माना जाएगा।

2.1 सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की गणना की क्रियाविधि

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24(2)(ख) के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए कुल निवल मांग तथा मीयादी देयताओं की गणना करने की क्रियाविधि आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजन से उपयोग में लाई जानेवाली क्रियाविधि से मोटे तौर पर मिलती-जुलती है। खंड 1.11 के अंतर्गत उल्लिखित देयताओं में मद 1.11(ध) को छोड़कर कोई भी देयता सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए देयताओं का भाग नहीं होगी। अत: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 'बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं' के अंतर्गत सभी परिपक्वता अवधि की अंतर-बैंक मीयादी जमाराशियों /मीयादी उधार देयताओं को शामिल करना चाहिए। उसी तरह सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए निवल मांग तथा मीयादी देयताओं की गणना के लिए 'बैंकिंग प्रणाली में आस्तियों" के अंतर्गत अपनी सभी परिपक्वता अवधि की मीयादी जमाराशियों तथा मीयादी उधारों की अंतर-बैंक आस्तियों को शामिल करना चाहिए । बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत अभिकलित "बैंकिंग प्रणाली" के प्रति निवल देयताओं पर सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने से छूट दी गई है।

2.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन

अनुमोदित प्रतिभूतियों के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के संबंध में, बैंक, बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा परिचालन के लिए विवकेपूर्ण मानदंड से संबंधित हमारे मास्टर परिपत्र (जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है) में निहित अनुदेश देखें।

2.3 अर्थ दंड

यदि कोई बैंकिंग कंपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षित मात्रा नहीं रखती है तो उसे उस चूक के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक को उस दिन के लिए कमी की राशि पर बैंक दर से 3 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक दर पर अर्थ दंड का भुगतान करना होगा और यदि ऐसी चूक आगामी

परवर्ती कार्य दिवस को भी बनी रहती है तो कमी की राशि पर चूक से संबंधित दिनों के लिए बैंक दर से 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक दर पर दांडिक ब्याज अदा करना पड़ेगा ।

2.4 फॉर्म VIII में विवरणी प्रस्तुत करना

i) बैंकों को हर महीने की 20 तारीख से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को ठीक पिछले महीने के एकांतर शुक्रवारों को रखे गये सांविधिक चलनिधि अनुपात की राशि दिखाते हुए फॉर्म VIII में एक विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए तथा ऐसे शुक्रवारों को रखी गयी भारत में मांग और मीयादी देयताओं का विवरण भी साथ में देना चाहिए । यदि ऐसे शुक्रवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित किया गया हो तो उससे पूर्ववर्ती कारोबार के दिन की समाप्ति के समय का विवरण दिया जाना चाहिए ।

ii) बैंकों को फॉर्म VIII के अनुबंध के रूप में एक विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें (क) सांविधिक चलनिधि अनुपात के अनुपालन के प्रयोजन हेतु रखी गयी प्रतिभूतियों का मूल्य और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उनके द्वारा रखे गये अतिरिक्त नकदी शेषों का निर्धारित फॉर्मेट में विवरण दिया गया हो ।

2.5 मांग और मीयादी देयताओं की गणना की शुद्धता सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना

सांविधिक लेखा-परीक्षकों को यह सत्यापित और प्रमाणित करना चाहिए कि बैंक की बहियों के अनुसार बाहरी देयताओं की सभी मदों का बैंक द्वारा विधिवत् संकलन किया गया था और उन्हें संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी गयी पाक्षिक/मासिक सांविधिक विवरणियों में मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं के अंतर्गत ठीक-ठीक दर्शाया गया था ।

अनुबंध I

फॉर्म - ए

(ऐसे अनुसूचित बैंक द्वारा
प्रस्तुत किया जाए जो राज्य/कंद्र सहकारी बैंक नहीं है)

शुक्रवार [1] दिनांक को कारोबार बंद होने के समय स्थिति का विवरण
(निकटतम हजार की राशि तक पूर्णांकित)

बैंक का नाम :

1. भारत [2] में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं

क) बैंकों से मांग तथा मीयादी देयताएं

ख) बैंकों [3] से उधार

ग) अन्य मांग तथा मीयादी देयताएं [4]

1 का जोड़

II. भारत में अन्यों के प्रति देयताएं

क) कुल जमाराशियां (बैंकों से इतर)

i) मांग

ii) मीयादी

ख) उधार [5]

ग) अन्य मांग तथा मीयादी देयताएं

II का जोड़

---

1. जहां किसी अनुसूचित बैंक के एक अथवा अधिक कार्यालयों में शुक्रवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881(1881 का 26) के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश है, तो ऐसे कार्यालय अथवा कार्यालयों के संबंध में विवरण में पूर्ववर्ती कारोबार के दिन का आंकड़ा दिया जाएगा लेकिन फिर भी उसे उस शुक्रवार से संबंधित समझा जाएगा।

2. इस विववरण में जहां कहीं भी "बैंकिंग प्रणाली" अथवा "बैंक" शब्द आता है उसका अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (घ) के उप खंड (1) से (vi)में संदर्भित बैंक तथा कोई अन्य वित्तीय संस्थाएं।

3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में प्रायोजक बैंक को छोड़कर

4 यदि 1(ग) के समक्ष II (ग) से अलग आंकड़ा देना संभव नहीं है, तो उसे II (ग) के समक्ष दिए गए आंकड़े में शामिल किया जाए। ऐसे मामले में बैंक प्रणाली के प्रति निवल देयता की गणना III के कुल आंकड़े से अधिक 1(क) तथा 1 (ख) की जोड़ की राशि यदि हो, के रूप में की जाएगी ।

5 . भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक से उधार . .

I + II का जोड़

III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां

क) बैंकों के पास शेष

(i) चालू खाते में

(ii) अन्य खाते में

ख) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

ग) बैंकों को अग्रिम अर्थात् बैंकों से प्राप्य राशियां

घ) अन्य आस्तियां

III का जोड़

IV. भारत में नकदी (अर्थात् हाथ में नकदी)

V. भारत में निवेश (बही मूल्य पर)

क) केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियां जिनमें खजाना बिल, खजाना जमा रसीद, खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र तथा पोस्टल दायित्व शामिल हैं।

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

V का जोड़

VI. भारत में बैंक ऋण (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)

क) ऋण, नकद ऋण तथा ओवरड्राफ्ट

ख) खरीदे तथा भुनाए गए देशी बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

ग) खरीदे तथा भुनाए गए विदेशी बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

VI का जोड़

III+ IV+ V+ VI को जोड़

क. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के प्रयोजन के लिए निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयता + भारत में अन्यों के प्रति देयताएं अर्थात् (I - III) + II, यदि (I - III) धनात्मक आंकड़ा है तो अथवा यदि (I - III) ऋणात्मक आंकड़ा है तो केवल II।

ख. अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित भारतीय रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली न्यूतनम जमाराशि (निकटतम रुपये तक पूर्णांकित)

ग) बचत बैंक खाता (विनियम 7 के अंतर्गत)
भारत में मांग देयताएं
भारत में मीयादी देयताएं

स्थान :
तारीख :
फॉर्म ए का ज्ञापन

1. प्रदत्त पूंजी

1.1 आरक्षित निधियां

2. मीयादी जमाराशियां

2.1 अल्पावधि

2.2 दीर्घावधि

3. जमा प्रमाणपत्र

4. निवल मांग तथा मीयादी देयताएं (शून्य आरक्षित निधि निर्धारण वाली देयताओं की कटौती के बाद, अनुबंध क)

5. सीआरआर की वर्तमान दर के अनुसार रखी जाने वाली अपेक्षित जमाराशि

6. ऐसी कोई अन्य देयता जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 तथा 42 (1क) के अंतर्गत भारिबैं के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सीआरआर रखना आवश्यक है।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 तथा 42 (1क) के अंतर्गत रखा जाने वाला अपेक्षित कुल सीआरआर ।

अनुबंध क

(निकटतम हजार तक पूर्णांकित रुपये में)

बैंक का नाम :

मद	बही मूल्य पर बकाया	पुनर्मूल्यांकन मूल्य	ब्याज
1	2	3	4
<u>देयताएं</u> भारत में अन्यों के प्रति देयता 1. अनिवासी जमाराशियां (1.1 + 1.2 + 1.3+ 1.4) 1.1 अनिवासी विदेशी रुपया खाता (एनआरई) 1.2 अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया खाता (एनआरएनआर) 1.3 विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक योजना (एफसीएनआर(बी)] (1.3.1 + 1.3.2) 1.3.1 अल्पावधि [1] 1.3.2 दीर्घावधि [2] 1.4 अन्य (उल्लेख करें)			
II. अन्य जमाराशियां /योजनाएं (11.1 + 11.2 + 11.3+ 11.4 + 11.5 + 11.6) 11.1 विदेशी मुद्रा अर्जक की विदेशी मुद्रा 11.2 निवासी विदेशी मुद्रा खाते 11.3 भारतीय निर्यातकों के एस्क्रो खाते 11.4 पोतलदान पूर्व ऋण खाते के लिए विदेशी ऋण व्यवस्था तथा बिलों की विदेशी पुनर्भुनाई 11.5 एसीयू (अमेरिकी डालर) खाते में जमा शेष 11.6 अन्य (उल्लेख करें)			
III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विदेशी मुद्रा देयताएं (111.1 + 111.2) 111.1 अंतर बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशियां 111.2 अंतर बैंक विदेशी मुद्रा उधार			
IV. विदेशी उधार [3]			

आस्तियां 1. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां 1.1 विदेशी मुद्रा उधार 1.2 अन्य II. भारत में अन्यों के पास आस्तियां 11.1 भारत में विदेशी मुद्रा [4] में बैंक ऋण 11.2 अन्य			
III. विदेशों में विदेशी मुद्रा आस्तियां [5]			

1. एक वर्ष अथवा उससे कम संविदात्मक परिपक्वता वाले
2. एक वर्ष से अधिक संविदात्मक परिपक्वता वाले
3. रुपयों में स्वैप न किए गए भाग से संबंधित
4. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में से ऋण
5. विदेशों में धारित शेष राशियां अर्थात् i) नॉस्ट्रो खाते का नकद घटक, एसीयू (अमरिकी डालर) खाते में नामे शेष तथा एसीयू देशों के वाणिज्य बैंकों में जमा शेष) ii) अल्पावधि विदेशी जमाराशियां तथा पात्र प्रतिभूतियों में निवेश iii) विदेशी मुद्रा बाजार लिखत जिनमें खजाना बिल शामिल हैं तथा iv) विदेशी शेयर तथा बॉण्ड।

	निकटतम हज़ार तक पूर्णांकित राशि (रुपये में)
V. विभेदक/शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन अन्यों के प्रति बाहरी देयताएं (I + II) VI. सीआरआर के पूर्णत: निर्धारण के अधीन बाहरी देयताएं (IV) VII. निवल अंतर-बैंक देयताएं (फॉर्म ए का I-III) VIII. शून्य सीआरआर निर्धारण के दायरे के भीतर आने वाली कोई अन्य देयताएं IX. शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन देयताएं (V+VII+VIII)	
ज्ञापन की मदें	
1. एफसीएनआर (बी) रिपोटिग्ंग पखवाड़े की स्थिति के अनुसार शेष 11.04.1997 की स्थिति के अनुसार शेष 11.04.1997 के बाद हुई वृद्धि	

प्राधिकृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर

1. पदनाम

2. पदनाम

अनुबंध ख

बैंक का नाम :

(राशि निकटतम हजार तक पूर्णांकित रुपये में)

मद	बही मूल्य पर बकाया	पुनर्मूल्यांकन मूल्य
1	2	3
1. अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (1.1 + 1.2) 1.1 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (1.1.1+1.1.2 = फॉर्म ए का मद V (क) 1.1.1 अल्पावधि [1] 1.1.2 दीर्घावधि [2] 1.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश [= फॉर्म ए का मद V (ख)] II.गैर- अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (II.1 + II.2+II.3+II.4) निम्नलिखित में निवेश II.1 वाणिज्यिक पत्र II.2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा अन्य म्युच्युअल फंडों की यूनिटें II.3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर II.3.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम II.3.2 निजी कार्पोरेट क्षेत्र II.3.3 सरकारी वित्तीय संस्थाएं II.4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड/डिबेंचर II.4.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम II.4.2 निजी कार्पोरेट क्षेत्र II.4.3 सरकारी वित्तीय संस्थाएं		
ज्ञापन की मदें		
1. प्राथमिक बाज़ार में शेयर/डिबेंचर/बांड में अभिदान 2. प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अभिदान		

प्राधिकृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर

(पदनाम)

(पदनाम)

[1] एक वर्ष अथवा उससे कम संविदात्मक परिपक्वता वाले

[2] एक वर्ष से अधिक संविदात्मक परिपक्वता वाले

अनुबंध - II

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949

फॉर्म VIII

(नियम 13ए)

(धारा 18 तथा 24)

बैंकिंग कंपनी का नाम :

विवरणी प्रस्तुत करनेवाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम :

. . . . के माह के लिए भारत में मांग तथा मीयादी
देयताएं तथा भारत में नकद, स्वर्ण तथा भाररहित
अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखी गयी राशि का विवरण :

(संबंधित महीने की समाप्ति के बाद अधिकतम 20 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए)

(निकटतम हज़ार रुपयों तक पूर्णांकित)

	निम्नलिखित को कारोबार बंद होने के बाद पहला एकांतर शुक्रवार @ दूसरा एकांतर शुक्रवार @ तीसरा एकांतर शुक्रवार@
भाग - क 1. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक से लिया गया कोई भी ऋण शामिल है।) (क) मांग देयताएं (i) भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक तथा तदनुरूपी नये बैंकों के चालू खातों में शेष (ii) अन्य मांग देयताएं (ख) मीयादी देयताएं 1 का जोड़	

II. भारत में अन्यों के प्रति देयताएं (रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक तथा भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये उधारों को छोड़कर) (क) मांग देयताएं (ख) मीयादी देयताएं II का जोड़ III. हाथ में नकदी IV. रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष V. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां (क) निम्नलिखित के पास चालू खाते में शेष (i) भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक तथा तदनुरूपी नये बैंक (ii) अन्य बैंक तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं (ख) बैंकों तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं में अन्य खातों में शेष (ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (घ) बैंकों को अग्रिम (अर्थात् बैंकों से प्राप्य राशियां) (ङ) अन्य आस्तियां V का जोड़ VI. चालू खातों में निवल शेष = V(क) (i) - 1(क) (i) VII. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 तथा 24 के प्रयोजन के लिए निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयताएं + अन्य मांग तथा मीयादी देयताएं = यदि (I-V) धनात्मक आंकड़ा है तो (I-V) + II अथवा	

यदि (I-V) <u>ऋणात्मक</u> आंकड़ा है तो केवल II <u>भाग - ख</u> (केवल गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए)	
VIII. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अंतर्गत आरक्षित नकदी निधि की जितनी न्यूनतम राशि रखनी अपेक्षित है (दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार VII का 3 प्रतिशत) IX. वास्तव में रखी गयी आरक्षित नकदी निधि = III, IV तथा VI का जोड़ X. IX में VIII से अधिक राशि	
भाग - ग	
XI.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत रखी जाने वाली अपेक्षित आस्तियों की न्यूनतम राशि (दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार VII का 25 प्रतिशत अथवा अन्य निर्धारित प्रतिशत) XII. (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा रखा जाने वाला अपेक्षित शेष (ख) अनुसूचित बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक में वास्तव में रखा गया शेष (ग) (ख) में (क) से अतिरिक्त राशि XIII. वास्तव में रखी आस्तियां (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(2) के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक में जमा की गयी नकद राशि (ख) हाथ में नकद राशि अथवा गैर-	

अनुसूचित बैंक के मामले में, उपर्युक्त X के समक्ष दर्शाई गई (IX) में (VIII) से अधिक राशि यदि कोई हो (ग) उपर्युक्त XII(ग) के समक्ष दर्शाई गई रिज़र्व बैंक के पास अतिरिक्त शेष राशि यदि हो (घ) अनुसूचित बैंक द्वारा चालू खाते में रखा निवल शेष = उपर्युक्त VI	
(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक के पास मांग अथवा मीयादी जमाराशियों में रखा शेष (च) वर्तमान बाज़ार मूल्य से अनधिक मूल्य पर मूल्यांकित स्वर्ण (छ) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन की पद्धति के आधार पर मूल्यांकित भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां (ज) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2) के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक में जमा की गयी रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के आधार पर मूल्यांकित अनुमोदित प्रतिभूतियां (क) से (ज) तक का जोड़ XIV XIII - XI (अतिरिक्त +, कमी -)	

दिनांक हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस विवरणी के प्रयोजन के लिए 'बैंकिंग प्रणाली' शब्द का अर्थ होगा भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक, तदनुरूपी नए बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य बैंकिंग कंपनियां, सहकारी बैंक तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं

@ तारीखें दें (जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश है वहां पूर्ववर्ती कार्य दिवस की तारीख दें)

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र द्वारा समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय	इस मास्टर परिपत्र में समरूप पैराग्राफ सं.
1.	आरबीआइ/2008-2009/ 339 बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 90/ 12.01.001/2009-10	20/04/2010	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना	1.2
2.	बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 34/ सी. 233ए-85	23/03/1985	मांग देयताएं, मीयादी देयताएं, अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1.4,1.5, 1.7
3.	बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.149/सी.236 (जी) 71	27/12/1971	अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1.7
4.	बैंपविवि. सं. बीसी. 58/ 12.02.001/94-95	13/05/1995	खरीदे गये बिलों पर मार्जिन राशि	1.7
5.	बैंपविवि.सं.बीसी.111/ 12.02.001/97	13/10/1997	विदेश स्थित बैंकों से उधार लेना - आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाओं का पालन	1.9
6.	बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 14/ 12.01.001/ 2003-04	21/08/2003	संपर्ककर्ता बैंक के साथ विप्रेषण सुविधाओं के लिए व्यवस्था	1.10
7.	बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.40/ सी.236(जी)एसपीएल-86	27/03/1986	डी.आइ.सी.जी.सी. से प्राप्त राशि	1.11 श्
8.	बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी. 98/सी.96(आरईटी)-86	12/09/1986	निवल मांग और मीयादी देयताओं से अलग करना - कोर्ट रिसीवर, बीमा कंपनी और ई.सी.जी.सी. से प्राप्त - राशि	1.11(घ,ङ, च)
9.	बैंपविवि.सं.बीसी.191/ 12.01.001/93	2/11/1993	बैंकर्स स्वीकृति सुविधा (बीएएफ) के अंतर्गत देयताएँ	1.11 (छ)
10.	आरपीसीडी.एसपी.बीसी. सं. 06/ 09.01.01/ 2006-07	7/07/2006	स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना	1.11(ज)

11.	आरपीसीडी.पीएलएफएस. बीसी.सं. 2/05.02.02 (आरजी)/2003-04	3/07/2003	ग्रामीण गोदामों के निर्माण/ नवीकरण/विस्तार के लिए पूंजी निवेश अनुदान योजना	1.11(झ)
12.	आरबीआइ/2006-2007/332 बैंपविवि. आरईटी. बीसी. 84/ 12.01.001/ 2006-07	20/04/2007	छूटप्राप्त श्रेणियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना	1.12
13.	बैंपविवि.सं.बीसी.5/ 12.01.001/2001-02	7/08/2001	फॉर्म ए में अंतर बैंक देयताओं की रिपोर्ट भेजना	1.12
14.	बैंपविवि. सं. बीसी. 82/ 12.01.001/2001-2002	26/03/2002	आ. न. नि. अनु. रखना - एशियाई समाशोधन संघ डॉलर निधि - छूट	1.12 (ii)
15.	बैंपविवि.आइबीएस.बीसी. 88/23.13.04/ 2002-03	27/03/2003	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपतटीय बैंकिंग इकाइयां	1.12 (iv)
16.	बैंपविवि.सं.बीसी.50/ 12.01.001/2000-01	7/11/2000	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अनुबंध ए और बी में आंकड़े एकत्र करना	1.13
17.	बैंपविवि. सं. बीसी. 54/ 12.01.001/2002-03	27/12/2002	दैनिक न्यूनतम आ. न. नि. अनु. रखने के मामले में शिथिलता	1.15
18.	आरबीआई/2006-07/ 331 बैंपविवि. सं. बीसी. 82/ 12.01.001/2006-07	20/04/2007	आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना	1.16
19.	आरबीआई/2006-07/ 106 बैंपविवि. सं.आरईटी. बीसी. 26/ 12.01.001/ 2006-07	10/08/2006	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने में चूक	1.17
20.	बैंपविवि. बीसी. 89/ 12.01.001/98-99	24/08/1998	फॉर्म ए में विवरणी	1.18
21.	बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 50/ 12.01.001/ 2000-01	7/11/2000	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अनुबंध ए तथा बी में आंकड़े एकत्रित करना	1.18
22.	बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 51/ 12.02.001/ 2009-10	28/10/2009	बेंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक	2

			चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना	
23.	बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 40/ 12.02.001/ 2009-10	08/09/2009	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना	2 (ग) (i)
24.	बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 41/ 12.02.001/ 2009-10	08/09/2009	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना	2 टिप्पणी (i) (ii)
25.	बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 36/ 12.02.001/ 2009-10	01/09/2009	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना	2 टिप्पणी (iii)
26.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 3/ 21.04.141/2009-10	1/07/2009	बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	2.2
27.	बैंपविवि. सं. बीसी. 87/ 12.02.001/2001-2002	10/04/2002	सां. च. अनु. के प्रयोजनार्थ प्रतिभूतियों का मूल्यांकन	2.2
28.	सीपीसी.बीसी.69/279 (ए)-84	30/10/1984	सां. च. अनु. रखने के संबंध में आंकड़े - विशेष विवरणी से संबंधित पूरक सूचना	2.4(ii)